फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

राजेन्द्र कुमार वगैरा बनाम मांगी वगैरा

मुकदमा संख्या / वर्ष : 73 / 2019

क्र0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/11/2020	पत्रावली पेश हुई। व0प0 उप0 मूल वाद के सम्बन्धित प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 6 नियम 13 सपठित 151 CPC पर बहस सुनी जाकर तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अवलोकन कर प्रकरण प्रा0पत्र 0-9 नियम 13 सपठित 151 CPC का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया जिसे शामिल पत्रावली कराया गया तथा मूल वाद में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिखवाया जाकर वाद डिक्री किया जाता है। TDR को लिखा जावे। पत्रावली फैसला हेतु नम्बर से कम हो। निर्णय पृथक से इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयुपर।

बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

निर्णय दिनांक 18.11.2020

वाद संख्या 73/2019

1. राजेन्द्र कुमार दुसाद
2. राकेश कुमार पुत्रान कल्याण प्रसाद जाति दुसाद खण्डेलवाल निवासी प्लाट नंबर 59 कृष्णा नगर तीन दुकान ढेर का बालाजी सीकर रोड जयपुर
3. मैसर्स मेप्स इन्फा प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 98 टेगोर नगर चित्रकूट मार्ग अजमेर रोड जयपुर
4. मैसर्स पवनसुत बिल्डमार्ट प्रा० लि० प्लाट नंबर बी 144 एल. एस. नगर जयपुर
5. मैसर्स कृष्ण कृपा रियल होम प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय जी 8 टाईम स्क्वायर विद्याधर नगर जयपुर

वादीगण

बनाम

मंगली देवी पत्नि प्रभात

हरसहाय
शैतान
रामस्वरुप
सरदार
राकेश
मुकेश
} पुत्रान प्रभात

सन्तोष पुत्री प्रभात

समस्त जाति जाट निवासीग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर

रामप्रकाश
कैलाश
} पुत्रान झूथाराम

जाति जाट निवासी ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर

रामेश्वरी देवी पत्नि बिरदीचंद

लादूराम
कानाराम
सरोज देवी
हन्सा देवी
} पिसरान बिरदीचंद

पप्पूराम पुत्र रामनारायण

लालाराम पुत्र जीवण

बरजी देवी पत्नि प्रभात

बिमला देवी पत्नि नानूराम

मिश्री देवी पत्नि जगदीश समस्त जाति जाट निवासीग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर

रामगोपाल पुत्र नानगराम जाति मीणा निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर

रामकुंवार
नन्छूराम
दौलतराम
} पुत्रान बोदूराम

जाति जाट निवासी ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर

भगवाना पुत्र जीवण

बनवारी लाल पुत्र झूथाराम जाति जाट निवासी ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर

मैसर्स सालासर बालाजी डवलपर्स प्रा० लि० जरिये निदेशक राजेन्द्र अग्रवाल निवासी ए 13-14 श्याम नगर नाडी का फाटक बैनाड रोड झोटवाडा जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण जे एल एन मार्ग जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधि0
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक 18.11.2020**

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया गया है कि ग्राम नांगल पुरोहित तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 771 रकबा 0.56 है0, 776 रकबा 1.03 है0, 767 रकबा 0.46 है0, 770 रकबा 0.44 है0, 774 रकबा 1.50 है0, 778 रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 स्थित है जिसमें वादीगण का राजस्व रिकार्ड में हक व हिस्सा निहित है। इसके अतिरिक्त भूमि हाल खसरा नंबर 768 रकबा 0.44 है0, 769 रकबा 0.70 है0, 777 रकबा 0.72 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.86 है0, खसरा नंबर 795/1277 रकबा 0.10 है0 भूमि में भी वादीगण का राजस्व रिकार्ड में हक व हिस्सा निहित है।

भूमि खसरा नंबर 776 रकबा 1.03 है0 में वादी नंबर 1 राजेन्द्र कुमार दुसाद व 2 राकेश कुमार का हिस्सा 1/8 तथा वादी नंबर 3 मैसर्स मेप्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 1/36 हिस्सा है तथा भूमि खसरा नंबर 767 रकबा 0.46 है0, खसरा नंबर 770 रकबा 0.44 है0, 774 रकबा 1.50 है0, 778 रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.44 है0 में वादी नंबर 1 राजेन्द्र कुमार दुसाद व वादी नंबर 2 राकेश कुमार दुसाद का 1/24 हिस्सा है तथा वादी नंबर 3 मैसर्स मेप्स इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 का 1/6 हिस्सा तथा वादी नंबर 5 मैसर्स कृष्ण कृपा रियल होम का 1/8 हिस्सा तथा खसरा नंबर 768 रकबा 0.44 है0, 769 रकबा 0.70 है0, 777 रकबा 0.72 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.86 है0 की भूमि में वादी नंबर 1 राजेन्द्र कुमार दुसाद व वादी नंबर 2 राकेश कुमार दुसाद का हिस्सा 1/24 तथा वादी नंबर 3 मैसर्स मेप्स इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 1/24 हिस्सा निहित है तथा भूमि खसरा नंबर 771 रकबा 0.56 है0 वादी नंबर 1 राजेन्द्र कुमार दुसाद व वादी नंबर 2 राकेश कुमार हिस्सा 1/24 + 1/66 हिस्सा निहित है तथा वादी नंबर 3 मैसर्स मेम्स इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 का 1/6 हिस्सा तथा वादी नंबर 4 मैसर्स पवनसुत बिल्डमार्ट लि0 का 1/12 हिस्सा व वादी नंबर 5 मैसर्स कृष्ण कृपा रियल होम लि0 का 1/8 हिस्सा निहित है तथा भूमि खसरा नंबर 795/1277 रकबा 0.10 है0 पर वादी नंबर 1 राजेन्द्र कुमार दुसाद व वादी नंबर 2 राकेश कुमार दुसाद का 1/24 हिस्सा है तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से के अनुसार संपूर्ण भूमि विवादग्रस्त में वादीगण क हक व हिस्सा निहित है तथा मौके पर वादीगण एव प्रतिवादीगण ने मनबट के अनुसार विभाजन करके अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण भी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।

सहायक कलक्टर
आमेर सु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

वादीगण को मनबट में प्राप्त भूमि पर वादीगण ने सिंचाई हेतु बोरिंग करवा रखा है तथा उसमें विद्युत कनेक्शन लेकर खेती करते चले आ रहे हैं तथा अपने हिस्से में प्राप्त भूमि के चारों ओर तार बाउंड्री बना रखी है जिसमें वादीगण का मकान मय लॉन बगीचा आदि बने हुए हैं उक्त भूमि जो वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुई है जो कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है जिसके अनुसार वादीगण को खसरा नंबर 767/1 रकबा 0.20 है0, 768/1 रकबा 0.13 है0, 769 रकबा 0.17 है0, 770 रकबा 0.44 है0, 771 रकबा 0.56 है0, 795/1277 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5750 है0 भूमि प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को भूमि का राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाये जाने हेतु कई बार निवेदन किया है किन्तु प्रतिवादीगण ने विभाजन करवाये जाने में हमेशा टालमटोल ही किया है इसलिए वादीगण के लिए अपने हक व अधिकार की भूमि जो कि उसे पूर्व में किए गए बाहमी विभाजन के अनुसार प्राप्त हुई है जो वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाई गई है उक्त वादीगण की हक व अधिकार की भूमि पर वादीगण को अब कृषि कार्य करते रहना मुश्किल होता जा रहा है इसलिए दावा पेश किया गया है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि संपूर्ण भूमि में से बाहमी विभाजन के अनुसार वादीगण को जो खसरा नंबर 767/1 रकबा 0.20 है0, 768/1 रकबा 0.13 है0, 769 रकबा 0.17 है0, 770 रकबा 0.44 है0, 771 रकबा 0.56 है0, 795/1277 रकबा 0.0750 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.5750 है0 भूमि प्राप्त हुई है को वादीगण के खाते में अलग से दर्ज किया जाकर लगान सरकारी कायम किया जावे व शेष भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 28 के उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उनके हिस्से में शामलात रहने दी जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे व वादी के वर्णित हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय स्थानांतरण आदि नहीं करें।

वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 20,22,23,24,25,27 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 10.08.2020 को वाद वादी बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाज[illegible] ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुनिश्चित करें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा जरिए पत्रांक भूअ/2020/3607 दिनांक 31.08.2020 कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय को भिजवाए गए।

कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत प्रतिवादी सं0 2 लगायत 17 व 26 की ओर से अधिवक्ता हुकुमसिंह चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसे अलग से दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाये जाने हेतु 30 दिन की समयावधि नियत है किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किए गए हैं। आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी में वर्णित कोई भी विधिक आधार प्रार्थीगण के पक्ष में समाहित नहीं है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के मत में दोनों प्रार्थना पत्रों में तथ्य एवं विधि का बल नहीं होने से दोनों प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:-

1. राजेन्द्र कुमार दुसाद, राकेश कुमार पि0 कल्याण सहाय दुसाद हिस्सा 3500/15750 जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 59, कृष्ण नगर तीन दुकान ढेहर का बालाजी सीकर रोड जयपुर, मैसर्स मैप्स इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 98 टैगोर नगर चित्रकूट मार्ग अजमेर रोड जयपुर हिस्सा 6000/15750, मैसर्स पवनसुत बिल्डमार्ट प्रा. लि. प्लाट नंबर 144 एल. एस. नगर नयाखेडा जयपुर हिस्सा 2500/15750 मैसर्स कृष्णकृपा रियल होम प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय जी-8 टाईम स्क्वायर, विद्याधर नगर हिस्सा 3750/15750 जयपुर खातेदार के हिस्से में खसरा नंबर 767/1 रकबा 0.20 है0, 768/1 रकबा 0.13 है0, 769/1 रकबा 0.17 है0, 770 रकबा 0.44 है0, 771 रकबा 0.56 है0, 795/1277 रकबा 0.0750 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में हल्के पीले रंग से दर्शाया गया है।
2. बनवारी, कैलाश, रामप्रकाश पि0 झूथा हिस्सा 7487/44150, रामप्रकाश हिस्सा राहिन बी.ओ.बी. शाखा राजावास, कानाराम लादूराम पि. बिरदीचंद, रामेश्वरी देवी पत्नि बिरदीचंद, सरोज देवी हंसा देवी पुत्रियां बिरदीचंद हिस्सा 2495/44150 मंगली पत्नि प्रभात रामस्वरुप मुकेश राकेश हरसहाय शैतान सरदार पि0 प्रभात, संतोष देवी पुत्री प्रभात हिस्सा 7487/44150 भगवाना पुत्र जीवन हिस्सा 9983/44150 लाला पुत्र जीवण हिस्सा 1168/44150 मिश्री देवी पत्नि जगदीश हिस्सा 1272/44150 राहिन बी.ओ. बी. शाखा राजावास बिमला देवी पत्नि नानूराम हिस्सा 1273/44150 राहिन बी.ओ.बी. शाखा राजावास बरजी देवी पत्नि प्रभात हिस्सा 1273/44150 पप्पूराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 185/44150, दौलतराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 148/44150 जाति जाट सा. देह खातेदार [illegible] पंजीकृत कार्यालय ए 13,14 श्यामनगर नाडी का फाटक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(7)

हिस्सा 5500/44150 रामगोपाल पुत्र नानगराम जाति मीणा हिस्सा 895/44150 निवासी श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर (जे.डी.ए.) हिस्सा 4984/44150 खातेदार के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 767 रकबा 0.2600 है0, 768 रकबा 0.3100 है0, 769 रकबा 0.5300 है0, 774 रकबा 1.5000 है0, 776 रकबा 1.0300 है0, 778 रकबा 0.0400 है0, 777 रकबा 0.7200 है0, 795/1277/1 रकबा 0.0250 है0 भूमि रहेगी जिसे संलग्न नक्शे में हलके नारंगी रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे खातेदारों का पृथक पृथक हिस्सा एवं पर्चा लगान निर्धारित कर पालना रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर म0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2020.12.09 12:24:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner